राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/22637 दिनांक 15 अप्रेल, 2020

:: आदेश ::

भीलवाडा जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके है, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एव जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी हैं।

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संबंध में राज्य सरकार से जारी निर्देश एवं चिकित्सकीय एडवाईजरी एवं प्रोटोकॉल की पालना करते हुए **इण्डिया जेनेटिक्स प्रा0 लि0 पटेलनगर भीलवाडा को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र पर एवं सहायक निदेशक पशुपालन भीलवाडा द्वारा प्रदत्त अभिशंषा के आधार पर** निम्न शर्तो पर गर्भाधान केन्द्रो पर भण्डारित अतिहिमिकृत वीर्य को उनके वाहन स0 आर0 जे0 06 जीबी 3548 से वितरण हेतु आवागमन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

01. प्रत्येक व्यक्तियो यथा कार्मिक/वाहन चालक, वाहन, सामग्री/बॉक्स को समय समय पर सेनेटाईज किसा जावे।
02. Social Distance की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
03. मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
04. उक्त व्यवस्था मे कार्यरत व्यक्तियो की संख्या कम से कम रखी जाना सुनिश्चित करे।
05. उक्त अनुमति के दौरान परिवहन करने वाले व्यक्तियो को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रींनिग करवाई जाकर मेडिकल प्रोटोकॉल को फोलो किया जावेगा।
06. भारत सरकार एवं राज्य सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशो की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान-जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. **जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।**
08. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा

10. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग भीलवाडा
11. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाईजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छूट के कम में समुचित निगरानी रखने हेतु प्रेषित है।**
12. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
13. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
14. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
15. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
16. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
17. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा।
18. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
19. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
20. डायरेक्टर, इण्डिया जेनेटिक्स प्रा0 लि0 पटेलनगर भीलवाडा
21. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा